ज्यादा चीनी निर्यात की अनुमति देगा मंत्रालय

सरकार ने रविवार को कहा है कि घरेलू चीनी उत्पादन का आकलन अधिक निर्यात की अनुमति दे सकती है। इससे पहले सरकार ने मौजूदा 2022-23 के लिए 31 मई तक 60 लाख टन निर्यात की अनुमति दे चुकी है।

5 नवंबर को जारी खाद्य मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि 1 नवंबर से 31 मई, 2023 तक 60 लाख टन निर्यात कोटा की अनुमति दी गई है। इसमें मिल मालिकों के पास यह विकल्प रहेगा कि वह खुद से या निर्यातकों के माध्यम से घरेलू बिक्री कोटा से बदलकर निर्यात कर सकते हैं।

सभी चीनी मिलों को 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के चीनी मौसम में चीनी के अपने तीन साल के औसत उत्पादन का 18.23 फीसदी का एक समान निर्यात कोटा आवंटित किया गया था। चीनी का वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है।

रविवार को जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि देश में गन्ना उत्पादन के उपलब्ध शुरुआती अनुमानों के आधार पर निर्यात कोटा तय किया गया है।

मंत्रालय ने कहा, 'देश में गन्ना उत्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर चीनी निर्यात की मात्रा पर पुनर्विचार किया जा सकता है।'

इसमें कहा गया है कि गन्ना किसानों को जल्द भुगतान करने के लिए मिलों को आवंटित चीनी कोटा तेजी से निर्यात करने के लिए कहा गया है।

मौजूदा 2022-23 सत्र के लिए मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू खपत के लिए चीनी की उपलब्धता 2.75 करोड़ टन होगी, जबकि 50 लाखन टन चीनी एथनॉल बनाने के लिए जाएगी और सीजन के अंत में समापन शेष लगभग 50 लाख टन होगा।

2022-23 में अक्टूबर से महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश और बाकी गन्ना उत्पादक राज्यों में यह एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। *एजेंसियां*